

परिशिष्ट "क"
प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु तैयारी वरीयता सूची में प्राप्त आपत्ति आवेदन पत्र का समेकित विवरणी 2016

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फ़ैयाज अहमद	उ० म० वि० माधोपुर उर्दू	2	नियमित छात्र, शून्य सत्र से संबंधित	इनके द्वारा आ०अ० में रहकर परीक्षा देने एवं अनुमति पत्र संलग्न किया गया है	इनकी नियुक्ति तिथि 23.08.78 है एवं नियमित छात्र के रूप में सत्र 90-92 में परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। नियमित रूप से योग्यता वर्धन किये हैं। प्रोन्नति के अयोग्य	अयोग्य
2	नीरा सिन्हा	म० वि० मगरदही, समस्तीपुर	3	नियमित/ शून्य से से संबंधित	इनके द्वारा अंकित किया गया है कि सेवावधि में प्रातःकालीन वर्ग अध्ययन कर एम०एस०सी० की परीक्षा उत्तीर्ण हुई हैं।	शिक्षिका की नियुक्ति तिथि 28.01.82 है एवं सेवावधि में सत्र 85-87 में नियमित रूप में अध्यापन कर एम०एस०सी० की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं जो नियमानुकूल नहीं है। प्रोन्नति के योग्य नहीं है।	अयोग्य
3	सीता राम चौधरी	उ० म० वि० मिल्की रमौली, कल्याणपुर	4	आचार्य की डिग्री नियमित योग्यतावर्धन संस्कृत संस्थानम नवदेहली से किया गया है।	इनका कथन है कि इनकी डिग्री मान्य है।	डिग्री आचार्य की है जबकि इनकी प्रोन्नति शास्त्री के आधार पर स्नातक कला में नहीं की गई थी। इसलिए डिग्री की मान्यता एवं शास्त्री के आधार स्नातक वेतनमान में प्रोन्नति होने के कारण ये प्रोन्नति के योग्य नहीं माना जा सकता है	डिग्री की मान्यता के संबंध विभाग से मार्गदर्शन के उपरान्त
4	प्रमोद ठाकुर	उ०म०वि० गरुआरा, समस्तीपुर	5	शून्य सत्र से संबंधित	इनका कथन है कि उनके जैसा अनेकों शिक्षकों को योग्य माना गया एवं उन्हें अयोग्य किया गया है। उन्हें भी योग्य माना जाय।	शिक्षिका की नियुक्ति तिथि 03.06.82 है एवं सेवाकाल में नियमित वर्ग में इन्होंने सत्र 85-87 में नियमित रूप से स्नातकोत्तर में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसलिये प्रोन्नति के योग्य नहीं माने जा सकते हैं।	अयोग्य
5	साधुशरन साह	उ० म० वि० कुबौली	7	नियमित रूप से स्नातकोत्तर की उपाधि	शिक्षक द्वारा प्रातःकालीन वर्ग में संचालन का साक्ष्य दिया गया है।	जि०शि०अ० द्वारा स्वतन्त्र छात्र के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी परन्तु इनके द्वारा नियमित परीक्षा दी गई, जो नियमानुसार नहीं है।	अयोग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
6	वीणा रानी	उ० म० वि० कन्या सोनुपुर उत्तर, रोसड़ा	10	प्रोग्राम एंव आ० अ० में रहने का प्रमाण अप्राप्त	प्रोग्राम एंव अ० अ० में रहने हेतु शपथ पत्र समर्पित किया गया है।	आपत्ति निराकृत	योग्य
7	विमला कुमारी	उ० म० वि० चकनूर	12	स्वतंत्र का प्रमाण नहीं। प्रोग्राम एंव अवकाश में परीक्षा देने का प्रमाण अप्राप्त	स्नातकोत्तर, जीव विज्ञान का एडमिट कार्ड प्राप्त। नामांकन कराने की अनुमति जि०शि०अ० समस्तीपुर का ज्ञापांक 1884 दिनांक 10.08.90 द्वारा प्राप्त	सेवा अबधि में विज्ञान से नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण। अवकाश में परीक्षा देने का प्रमाण पत्र अप्राप्त। प्रोन्नति हेतु अयोग्य	अयोग्य
8	कुमारी देवसुन्दरी राय	उ० म० वि० अषाढी, ताजपुर	13	शून्य सत्र से संबंधित। समिति द्वारा निर्णय लिया जायगा	आवेदिका ने अंकित किया है कि क्र०सं० 22 में अंकित शिक्षक को योग्य एंव उन्हें अयोग्य क्यों माना गया। वे प्रातःकालीन वर्ग अध्ययन कर एम०एस०सी० की परीक्षा उत्तीर्ण की है।	शिक्षिका की नियुक्ति तिथि 10.10.84 है एंव सेवावधि में सत्र 85-87 में नियमित रूप में अध्यापन कर एम०एस०सी० की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं जो नियमानुकूल नहीं है। प्रोन्नति के योग्य नहीं है।	अयोग्य
9	संगीता कुमारी	उ० म० वि० मन्नीपुर	14	अवकाश स्वीकृती, प्रोग्राम एंव प्रमाण पत्र अप्राप्त	अवकाश स्वीकृति का साक्ष्य प्राप्त। प्रोग्राम एंव प्रमाण पत्र प्राप्त।	अपत्ति निराकृत	योग्य
10	कुमारी मीना सिन्हा	उ० म० वि० खोकसा, दलसिंहसराय	15	-	पदस्थापित विधालय उ० म० वि० खोकसा अंकित करने का अनुरोध किया गया है।	आपत्ति का सुधार किया गया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं हो सका कि ये स्वतन्त्र रूप से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुई हैं	अयोग्य
11	आभा मिश्रा	उ० म० वि० दरियापुर मल्लह टोली	16	शून्य सत्र से संबंधित। नियमित, प्रोग्राम अप्राप्त।	प्रोग्राम प्राप्त। अनुमति प्राप्त। परीक्षा प्रकाशन तिथि 1991 के होना चाहिए।	नियुक्ति तिथि 26.03.85 है जबकि स्नातकोत्तर सत्र 84.86 है। परीक्षा प्रकाशन तिथि सुधार किया जा सकता है। परन्तु नियमित परीक्षा दिये हैं इसलिये प्रोन्नति के योग्य नहीं है।	अयोग्य
12	राम विनोद रजक	उ० म० वि० बेहट	17	शून्य सत्र से संबंधित	स्वतंत्र रूप से परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त कराया गया है	अपत्ति निराकृत	योग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
13	मदन मोहन पाठक	उ० म० वि० महिषी ईश्वर टोल, विभुतिपंर	27	नियमित छात्र, प्रोग्राम प्रमाण पत्र एवं अ०अ० हेतु शपथ पत्र प्राप्त ।	शिक्षक द्वारा आवेदन दिया गया है कि वे 12.08.92 को फार्म भरे एवं सितम्बर 92 में परीक्षा में बैठे। इसलिये शिक्षण कार्य पर असर नहीं पड़ा।	सेवावधि में नियमित छात्र के रूप में स्नातकोत्तर विज्ञान के साथ उत्तीर्ण हुए जो नियमानुसार प्रतीत नहीं होता है। प्रोन्नति के आयोग्य	अयोग्य
14	फूलकान्त चौधरी	उ० म० वि० हसनपुर कैँजु	34	नियमित शून्य सत्र सं संबंधित	शिक्षक द्वारा अंकित किया है कि वे 90-92 सत्र में नामांकन लिया किन्तु वर्ग संचालन नहीं हुआ।	नियमित रूप से योग्यता वर्धन किये है। प्रोन्नति के अयोग्य	अयोग्य
15	मीना कुमारी	उ०म० वि० खराज, समस्तीपुर	35	नियमित रूप से स्नातकोत्तर की उपाधि। आ० अवकाश का प्रमाण पत्र अप्राप्त।	शिक्षक का कथन है कि वे प्रातःकालीन महाविधालय में वर्ग अध्ययन किया है। इसलिए इन्हें प्रोन्नति दी जाय।	शिक्षिका की नियुक्ति तिथि 17.12.87 है एवं सेवाकाल में नियमित वर्ग में इन्होंने सत्र 89-91 में नियमित रूप से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसलिये प्रोन्नति के योग्य नहीं माने जा सकते है।	अयोग्य
16	आशा कुमारी	उ० म० वि० कोठिया ताजपुर	38	प्रमाण पत्र , प्रोग्राम एवं आ० अ० स्वीकृती पत्र अप्राप्त	प्रोग्राम प्राप्त नहीं कराया गया परन्तु नियुक्ति से पूर्व सत्र पूर्ण था। प्रमाण पत्र एवं छुट्टी लेने का प्रमाण पत्र प्राप्त	अपत्ति निराकृत	योग्य
17	मीना कुमारी	उ० म० वि० पूसा बाजार	41	प्रोग्राम अप्राप्त	परीक्षा में अवकाश लेकर परीक्षा में बैठने हेतु शिक्षकोपस्थिति की छाया प्रति उलब्ध कराया गया है साथ ही प्रोग्राम भी उपलब्ध कराया है	आपत्ति निराकृत	योग्य
18	गणेश चन्द्र शर्मा	उ० म० वि० भुसारी, समस्तीपुर	44	शून्य सत्र से संबंधित	आवेदक की नियुक्ति 15.03.88 है किन्तु 85-87 है और वे सत्र समाप्ति के बाद सेवा में आए। पदस्थापन के विद्यालय में संशोधन किया जाय।	सेवा में आने से पूर्व 1985-87 में स्नातकोत्तर विज्ञान में उत्तीर्णता प्राप्त की है। विद्यालय के नाम में संशोधन कर दिया गया है। एवं प्रोन्नति के योग्य है।	योग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
19	सितेश्वर ना० सिंह	उ० म० वि० बमौरा, वि० नगर	45	प्रमाण पत्र / प्रोग्राम एवं अवकाश लेकर परीक्षा देने का साक्ष्य अप्राप्त	नियुक्ति से पूर्व सत्र पूर्ण हैं। इनका कथन है कि वे नियुक्ति से पूर्व सत्र पूर्ण कर चुके थे इसलिये विभागीय आदेश की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही अवकाश लेकर वे 1990 में परीक्षा दिये है। शपथ पत्र प्राप्त।	आपत्ति निराकृत	योग्य
20	अरुण प्र० सिंह	उ० म० वि० बाघी, ताजपुर	46	प्रोग्राम एवं आ० अ० में रहने का प्रमाण अप्राप्त	प्रोग्राम एवं अ० अ० में रहने का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।	प्राप्त साक्ष्य एवं प्रोग्राम उपलब्ध हो जाने के कारण इन्हें प्रोन्नति के योग्य माना जा सकता है।	योग्य
21	वन्दना झा	उ० म० वि० जरही, रोसड़ा	50	प्रोग्राम अप्राप्त, स्वतंत्र एवं आ०अ० हेतु शिक्षकोपस्थिति पंजी की छाया प्रति प्राप्त	इनके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि लम्बी अबधि बीत जाने के कारण परीक्षा का कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हो पाया।	शपथ पत्र मान्य किया जा सकता है।	योग्य
22	विजय कुमार चौधरी	उ० म० वि० एरौत, रोसड़ा	52	नियमित / शून्य से से संबंधित	शिक्षक द्वारा प्रातःकालीन 6.30 से 9.30 तक अध्ययन कर कॉलेज से नियमित रूप से स्नातकोत्तर की परीक्षा 89-91 में दिया गया एवं उत्तीर्णता प्राप्त किया।	शिक्षक की नियुक्ति तिथि 25.05.88 है जबकि वे नियमित वर्ग अध्ययन कर एम०एस०सी० की परीक्षा सत्र 89-91 में उत्तीर्ण किया जाना नियमानुकूल नहीं है। प्रोन्नति के योग्य नहीं है।	अयोग्य
23	चितरंजन मिश्र चंचल	उ० म० वि० सहियार बुर्ज, रोसड़ा	56	प्रोग्राम एवं आ० अ० में रहने का प्रमाण अप्राप्त	प्रोग्राम प्राप्त करा दिया गया है। आ०अ० हेतु शपथ पत्र दिया गया है।	आपत्ति निराकृत	योग्य
24	नीलम कुमारी	उ० म० वि० बापूकन्या बैनी	60	प्रोग्राम एवं आ० अ० में रहने का प्रमाण अप्राप्त	शपथ पत्र उपलब्ध कराया गया है परन्तु स्वतंत्र रूप से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण का साक्ष्य उपलब्ध नहीं	अयोग्य	अयोग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
25	कुमारी रागिनी	उ० म० वि० मिलकियाचक पोखर, पटोरी	61	शून्य सत्र से संबंधित	शिक्षक द्वारा अंकित किया गया है कि इनकी नियुक्ति तिथि 05.07.88 है, जबकि स्नातकोत्तर का सत्र 86- 88 है। इसलिए योगदान के पूर्व सत्र पूर्ण है।	आपत्ति निराकृत	योग्य
26	विभा कुमारी	उ० म० वि० धुबगामा	63	शून्य सत्र से संबंधित	शिक्षिका नियमित छात्रा के रूप में 87-89 हेतु अ०अ० लेकर परीक्षा में सम्मिलित हुई थीं	नियुक्ति तिथि 05.07.88 है, जबकि परीक्षा सत्र 87-89 है एवं नियमित रूप से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त किया। जो नियमानुसार नहीं है। प्रोन्नति के अयोग्य	अयोग्य
27	उमा कुमारी	म० वि० गांधीपार्क, समस्तीपुर	64	-	स्नातकोत्तर 91-93 में किये हैं जबकि सूची में 84-86 अंकित है सुधार किया जाय एवंका वर्तमान विधालय का नाम सुधार किया जाय।	शिक्षिका की नियुक्ति 05.07.88 है जबकि स्नातकोत्तर विज्ञान का सत्र 91-93 है जो नियमित छात्रा के रूप में की गई है। विधालय का नाम एवं स्नातकोत्तर का सत्र सुधार कर दिया गया है। परन्तु ये सेवाकाल में नियमित रूप से परीक्षा दीं है जो नियमानुसार गलत है। अतएव प्रोन्नति के योग्य नहीं है।	अयोग्य
28	मंजू कुमारी	उ० म० वि० मिश्रोलिया, विभुतिपुर	65	नियमित प्रोग्राम अप्राप्त। शून्य सत्र से संबंधित।	इनके द्वारा अंकित किया गया है कि रियाज अहमद और वे एक ही साथ प्रातःकालीन सत्र में वर्ग की एवं अवकाश में रहकर परीक्षा दी। प्रोग्राम उनके पास उपलब्ध नहीं है। विद्यालय का नाम सुधार किया जाय।	शिक्षिका की नियुक्ति तिथि 05.07.88 है एवं सेवाकाल में नियमित वर्ग में इन्होंने सत्र 89-91 में स्नातकोत्तर विज्ञान में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसलिये प्रोन्नति के योग्य नहीं माने जा सकते है। पदस्थापित विद्यालय का सुधार कर दिया गया है।	अयोग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
29	शिवचन्द्र राम	उ० म० वि० सोरमार पारन	66	संस्कृत संस्थानम नव देहली से आचार्य। इसकी मान्या से संबंधित, प्रोग्राम अप्राप्त	शिक्षक द्वारा तीन वर्षों का कार्यकलाप प्रतिवेदन एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र समर्पित किया तथा आचार्य की डिग्री को बैध बताया है। जिसके लिय साक्ष्य के रूप में पत्र संलग्न हैं	इस संस्था की डिग्री की मान्यता के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रोन्नति के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।	डिग्री की मान्यता के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन के उपरान्त
30	छोटे लाल पासवान	उ० म० वि० सोमनाहा ओझा टोल, कल्याणपुर	67	संस्कृत संस्थानम नव देहली से आचार्य। इसकी मान्या से संबंधित, प्रोग्राम अप्राप्त	शिक्षक द्वारा तीन वर्षों का कार्यकलाप प्रतिवेदन एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र समर्पित किया तथा आचार्य की डिग्री को बैध बताया है। जिसके लिय साक्ष्य के रूप में पत्र संलग्न हैं	इस संस्था की डिग्री की मान्यता के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रोन्नति के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है।	डिग्री की मान्यता के संबंध विभाग से मार्गदर्शन के उपरान्त
31	नवीन कुमार लाभ	उ० म० वि० चकहाजी समस्तीपुर	69	शुन्य सत्र के कारण अयोग्य	शिक्षक का कथन है कि स्वतन्त्र रूप से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण उन्हें अयोग्य कर दिया गया है। इनके द्वारा 2013-15 में स्वतंत्र रूप से हिन्दी से स्नातकोत्तर किया गया है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न किया है	शिक्षक द्वारा पूर्व में 91-93 में नियमित रूप से स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र दिया गया था जिसके कारण सूची में आपत्ति दर्ज थी। परन्तु अब वे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ,ललित ना० मिथिला विश्वविधालय दरभंगा से सत्र 2013-15 में उत्तीर्ण हुए हैं, यह सूची 31.12.13 के वरीयता के आधार पर बनी है। इसलिये भविष्य में वरीयता सूची का निमार्ण होगा तो इन्हें उचित स्थान दिया जायगा।	अयोग्य
32	रामार्चा प्रसाद सिंह	उ० म० वि० हरपुर एलौथ	77	नियमित, शुन्य सत्र, मधेपुरा विश्व० से स्नातकोत्तर	आवेदक का कहना है कि उनका सत्र 90-92 है। स्नातकोत्तर गणित के साथ किये हैं, नियुक्ति तिथि 06.09.91 है। उनके बाद वर्ग संचालन नहीं किया।	शिक्षक द्वारा दिए गए निबंधन प्रमाण पत्र पर एक स्थान पर स्वतन्त्र एवं दूसरे स्थान पर नियमित अंकित है। जांच की आवश्यकता है।	जांच की आवश्यकता।

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
33	मो० वकील अहमद	उ० म० वि० एकद्वारी, वारिसनगर	83	नियमित/आ०अ० हेतु शपथ पत्र एवं शून्य सत्र से संबंधित।	इनका कथन है कि वे विभाग से अनुमति प्राप्त कर शून्य सत्र 89-91 में एम०एस०सी० उत्तीर्ण किया। उनका कहना है कि पूर्व में इस तरह की डिग्री पर प्रोन्नति दी गई है।	शिक्षक नियमित रूप से सेवाकाल में एम०एस०सी० की परीक्षा उत्तीर्ण किया है इसलिये ये प्रोन्नति के योग्य नहीं माने जायेंगे।	अयोग्य
34	दिलिप कुमार महतो	उ० म० वि० महशौर, रोसड़ा	86	नियमित, प्रोग्राम अप्राप्त	प्रोग्राम उपलब्ध कराया गया है।	नियमित रूप से योग्यता वर्धन किये है। यह विज्ञान में स्नातकोत्तर है। अतः प्रोन्नति के अयोग्य	अयोग्य
35	मुसाई मोची	उ० म० वि० जगदीशपुर, पूसा	88	-	शिक्षक 01.01.86 से मै०प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिये मै० प्रशि० की तिथि 01.01.86 किया जाय।	सुधार कर दिया गया है।	योग्य
36	दिलीप कुमार	उ० म० वि० मोरसंड बहादुरपुर, पूसा	90	प्रोग्राम अप्राप्त	प्रोग्राम प्राप्त करा दिया गया है। औपबन्धिक प्रमाण पत्र भी संलग्न कर दिया गया है	आपत्ति निराकृत	योग्य
37	मोहन रजक	उ० म० वि० बेरी न० -01	91	अ०अ०, परीक्षा देने का साक्ष्य पत्र अप्राप्त	प्र०अ० म० वि० कांचा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपस्थिति पंजी 86-87 के बाढ़ में वह जाने के कारण साक्ष्य देने में असमर्थ। शपथ पत्र प्राप्त	अपत्ति निराकृत	योग्य
38	एस.आफताब अहमद	उ० म० वि० मूसेपुर, कल्याणपुर	92	-	सेवानिवृति तिथि 31.07.17 के बदले 31.05.17 अंकित है।	सुधार कर दिया गया	योग्य
39	मो० नसार	उ० म० वि० चन्दौली, पूसा	98	प्रमाण पत्र अप्राप्त,	शिक्षक द्वारा प्रमाण पत्र की छाया प्रति समर्पित किया गया है	आपत्ति निराकृत	योग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
40	सरोज कुमार झा	उ० म० वि० हरिपुर, रोसड़ा	103	निलम्बित	निलम्बन मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।	निलम्बन के कारण प्रोन्नति देय नहीं है।	अयोग्य
41	कामेश्वर पंडित	उ० म० वि० चकसिकन्दर	125	प्रामाण्य पत्र अप्राप्त	स्नातकोत्तर का औपबन्धिक प्रमाण पत्र प्राप्त करा दिया गया है।	अपत्ति निराकृत	योग्य
42	अरबिन्द कुमार झा	उ० म० वि० यमुनाटांड़ा	129	—	विधालय का नाम सुधार कर उ० म० वि० यमुनाटांड़ा किया जाय।	पदस्थापित वि० का नाम उ० म० वि० यमुना टांड़ा कर दिया गया है।	योग्य
43	राज कपूर पासवान	उ० म० वि० अम्बेदकर कैंवटा, दलसिंहसराय	131	—	विधालय का नाम सुधार कर उ० म० वि० अम्बेदकर कैंवटा कर दिया जाय।	विद्यालय का नाम सुधार कर अम्बेदकर कैंवटा कर दिया गया है।	योग्य
44	नवल कुमार नवीन	उ० म० वि० ताराधमौन डीह, पटोरी	134	—	इनका स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति तिथि 30.12.12 है, तदनुसार वरीयता सूची में सुधार का अनुरोध किया गया है।	रविवार के दिन योगदान का औचित्य प्रतीत नहीं होता है एवं मान्य नहीं है।	योग्य
45	प्रणव चौधरी	उ० म० वि० मोहिउददीनपुर, वारिसनगर	147	—	इनका मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान 13.02.1989 से स्वीकृत है, इसलिये उस तिथि के आधार मानकर वरीयता सूची में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।	योग्यतावर्द्धन में ली गई छुट्टि विवादित	अयोग्य
46	राम पुनीत चौधरी	उ० म० वि० मोरबारा, कल्याणपुर	162	बी० पी० मंडल विश्व विधालय के सत्र 91-93 की डिग्री अमान्य संबंधी विभागीय पत्र	शिक्षक का कथन है कि क्र० सं० 271 को योग्य माना गया है। इसलिये इन्हें भी योग्य माना जाय।	मूल प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ है। निदेशक (प्रा० शि०) के आदेश के आलोक में 1991-93 का मामला निगरानी के अधीन है एवं करने से पूर्व विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाय।	विभाग से मार्गदर्शन के उपरान्त निर्णय लिया जायगा।

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
47	राम प्रवेश ठाकुर	म० वि० नन्दनी, म०नगर	169	डिग्री की मान्यता से संबंधित	शिक्षक द्वारा आपत्ति की गई है कि वे बी०एन०मंडल विश्व विधालय मधेपुरा से 91-93 सत्र में एमस०एस०सी० गणित से उत्तीर्ण की है जिसकी मान्यता है।	मूल प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ है। निदेशक (प्रा० शि०) के आदेश के आलोक में 1991-93 का मामला निगरानी के अधीन है एवं करने से पूर्व विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाय।	विभाग से मार्गदर्शन के उपरान्त निर्णय लिया जायगा।
48	सुनील कुमार महतो	उ० म० वि० भगवतपुर हिन्दी, सरायरंजन	189	—	बिहार लोक सेवा आयोग के मेघासूची के अनुसार वरीयता का निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया है।	वरियता का निर्धारण नियमानुसार किया जायगा।	योग्य
49	राजीव कुमार चौधरी	उ० म० वि० कन्या कैंवटा	195	—	विधालय का नाम सुधार	पदस्थापित वि० का नाम उ० म० वि० कन्या कैंवटा कर दिया गया है।	योग्य
50	प्रवीण कुमार	उ० म० वि० अगरौल, सिंधिया	202	—	इनका कथन है कि कॉलम-12 में एम०एस० के स्थान पर एम०ए० एडुकेशन अंकित किया जाय।	अंकित कर दिया गया है।	योग्य
51	शंकर दास	म० वि० खोड़ि, समस्तीपुर	211	—	बिहार लोक सेवा आयोग के मेघासूची के अनुसार वरीयता का निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया है साथ ही अ०जा० अंकित करने का अनुरोध किया गया है।	नियमानुसार सुधार किया जायगा।	योग्य
52	जीवछ साहु	उ० म० वि० रामपुर वहोर, सिंधिया	213	—	इनका कथन है कि उनके द्वारा स्नातकोत्तर सत्र नियुक्ति से पूर्व किया गया है। इसलिये विभागीय आदेश की आवश्यकता नहीं थी। शपथ पत्र समर्पित किया गया है	नियुक्ति से पूर्व सत्र पूर्ण कर चुके हैं। आपत्ति रहित है।	योग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
53	धर्मेंश कुमार	म० वि० बेहट, सिंधिया	216	—	कॉलम 12 में एम०एस०सी० के स्थान पर एम०ए० एडुकेशन, इतिहास लिखा जाय।	अंकित कर दिया गया है।	योग्य
54	परमीन्दर कुमार	उ० म० वि० भजनपट्टी, रोसड़ा	220	—	नियुक्ति तिथि 06.09.91 है इसलिये वरियता सूची में यथास्थान करने का अनुरोध किया गया है।	वरियता ठीक कर दिया गया	योग्य
55	उमेश प्रसाद	उ० म० वि० बेलामेघ, उजियारपुर	223	—	कॉलम 10 में अ०पि०वर्ग में संशोधन कर अ० जा० करने का मांग।	अपेक्षित सुधर कर दिया जायगा।	योग्य
56	राकेश कुमार सिंह	उ० म० वि० सिंधिया	228	कोई आपत्ति नहीं। योग्य	वरियता ठीक करने हेतु	वरियता ठीक कर दिया गया	योग्य
57	श्री राम मिलन सहनी	उ० म० वि० च० नन्देनगर, शिवाजीनगर	233	अनुमति पत्र, प्रमाण पत्र, प्रोग्राम एंव अ० अ० का साक्ष्य अप्राप्त। स्वतन्त्र छात्र का प्रमाण पत्र प्राप्त	जि०शि०अ० का ज्ञापांक 2811 दिनांक 22.11.10 द्वारा अनुमति प्राप्त। अ०अ०, प्रोग्राम एंव अंक पत्र प्राप्त। औपबन्धिक प्रमाण पत्र प्राप्त	आपत्ति निराकृत	योग्य
58	दिलीप कुमार राय	उ० म० वि० मल्हीपुर, हसनपुर	244	वर्तमान में निलम्बित	शिक्षक द्वारा आवेदन दिया गया है कि वे निलम्बित नहीं है। इसलिये संशोधन किया जाय।	कार्यालय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ये निलम्बित नहीं रहे हैं।	योग्य
59	प्रमोद कुमार	उ० म० वि० फतेहपुर	248	कार्यकलाप अप्राप्त	कार्यकलाप प्रतिवेदन तीन वर्षों का प्राप्त	आपत्ति निराकृत	योग्य
60	विवेकानन्द साह	उ० म० वि० बरईटोल बथुआ बुजुर्ग, सरायरंजन	251	—	सेवानिवृति तिथि 31.04.31 के बदले 30.04.32 अंकित है।	अपेक्षित सुधर कर दिया जायगा।	योग्य
61	संजय कुमार ठाकुर	उ० म० वि० बल्लोचक	255	—	कॉलम 08 में अंकित तिथि 1.10.03 के स्थान पर 05.09.99 अंकित किया जाय	सुधार कर दिया गया	योग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
62	मो० एहसान अंसारी	उ० म० वि० लवहटटा	257	—	विधालय का नाम सुधार	पदस्थापित वि० का नाम उ० म० वि० लवहटटा कर दिया गया है।	योग्य
63	रविन्द्र कुमार	उ० म० वि० डढ़िया बेलार	261	शून्य सत्र एवं मधेपुरा विश्वविधालय की डिग्री	आवेदक का कहना है कि उनका सत्र 92-94 है। जबकि 91-93 की परीक्षा पर निगरानी जांच है।	अपत्ति निराकृत	योग्य
64	रवीन्द्र प्रसाद	उ० म० वि० फतहपुर नवका टोल, ताजपुर	263	—	वरीयता सूची में इनका कथन है कि उचित स्थान पर उनका नाम अंकित नहीं है।	सुधार कर दिया गया	योग्य
65	राम नरेश राय	म० वि० इनायतपुर	268	सेवा में रहते हुए नियमित योग्यताबर्धन किये हैं	नियुक्ति तिथि 22.08.94 है। नियुक्ति से पूर्व सत्र 93-95 में नामांकित थे। वर्ग संचालन बन्द हो गया था। परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति उपाधीक्षक, जि० शि० अ० से 22.01.96 को लिया था।	शिक्षक की नियुक्ति तिथि 22.08.94 है ये नियमित छात्र के रूप में सत्र 93-95 के छात्र थे। इसलिए प्रोन्नति के योग्य नहीं है।	अयोग्य
66	विष्णुदेव राय	उ० म० वि० सिरदिलपुर, पटोरी	269	प्रमाया पत्र अप्राप्त	इनके द्वारा अंकित किया गया है कि इन्हें मै० प्रशि० 05.09.99 को हो गये हैं इसलिये इनके वरीयता में सुधार किया जाय। इनके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कराया गया है	वरीयता में अपेक्षित सुधार कर दिया जायगा। परन्तु प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण यह प्रोन्नति के योग्य नहीं माने जायेंगे।	अयोग्य
67	संजीव कु जयसवाल	म० वि० हसनपुर सूरत, पटोरी	270	—	कॉलम 08 एवं कॉलम 09 में क्रमशः 5.09.99 एवं 30.12.12 अंकित करने का अनुरोध किया गया है।	मै० प्रशिक्षित तिथि में सुधार कर दिया जायगा परन्तु रविवार को योगदान का औचित्य नहीं है, इसलिये योगदान की तिथि 30.12.12 मान्य नहीं है।	योग्य
68	राज कुमार प्रसाद	उ० म० वि० सरमस्त पुर, विधापतिनगर	283	प्रमाण पत्र अप्राप्त, शपथ पत्र प्राप्त	स्नातकोत्तर का औपबन्धिक प्रमाण पत्र प्राप्त करा दिया गया है।	स्नातकोत्तर का सत्र 87-89 है एवं प्रशिक्षण सत्र 86-89 है। एक साथ दो डिग्री अबैध है	अयोग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
69	लालन पासवान	उ० म० वि० किसनपुर युसुफ, सरायरंजन	289	—	पदस्थापित विधालय का नाम उ० म० वि० किशनपुर यूसूफ अंकित किया जाय।	अपेक्षित सुधार कर दिया जायगा।	योग्य
70	मो० इफतेखार	उ० म० वि० मक० मउ	300	—	कॉलम 08 में अंकित तिथि 1.10.03 के स्थान पर 05.09.99 अंकित किया जाय	सुधार कर दिया गया	योग्य
71	मो० जावेद	उ० म० वि० रघुनाथपुर, वारिसनगर	301	—	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तिथि 05.09.99 करने के संबंध में।	सुधार कर दिया गया	योग्य
72	यतीश कुमार पासवान	उ० म० वि० भगीरथपुर, कल्याणपुर	304	निलम्बन के कारण। अयोग्य	जि०कार्यक्रम पदा० स्थापना के ज्ञापांक 240 दिनांक 20.01.16 के द्वारा निलम्बन मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवही समाप्त कर दिया गया है	निलम्बन मुक्त हो चुके हैं, इसलिये प्रोन्नति के योग्य माना जा सकता है।	योग्य
73	प्रमोद कुमार	उ० म० वि० पटपारा उत्तर	305	अ०अ०, परीक्षा में बैठने का साक्ष्य पत्र अप्राप्त	शिक्षक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उनकी परीक्षा गृष्मावकाश में हुई थी। इसलिय अवकाश स्वीकृत की आवश्यकता नहीं थी।	आपत्ति निराकृत	योग्य
74	राज कुमार चौधरी	क० म० वि० विभुतिपुर	313	—	वरीयता सूची के कॉलम -08 में मै०प्रशि० तिथि 05.09.99 अंकित करने का अनुरोध किया गया है।	वरीयता में अपेक्षित सुधार कर दिया जायगा।	योग्य
75	संजीव कुमार कन्हैया	उ० म० वि० दरियापुर मल्लह टोली	315	—	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तिथि 05.09.99 करने के संबंध में।	सुधार कर दिया गया	योग्य
76	अभिनन्दन	म० वि० बान्दे, मोरवा	319	—	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तिथि 05.09.99 करने के संबंध में।	सुधार कर दिया गया	योग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
77	जीतेन्द्र कुमार	उ० म० वि० जगदीशपुर, पूसा	322	—	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तिथि 05.09.99 करने के संबंध में।	सुधार कर दिया गया	योग्य
78	विपिन कुमार टाकुर	उ० म० वि० कोठिया, खानपुर	323	—	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तिथि 05.09.99 करने के संबंध में।	सुधार कर दिया गया	योग्य
79	अशोक कुमार सिन्हा	उ० म० वि० हाजीपुर राजा, कल्याणपुर	325	—	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तिथि 05.09.99 करने के संबंध में। वरीयता में सुधार किया जाय।	सुधार कर दिया गया	योग्य
80	कामोद कुमार	उ० म० वि० रामचन्द्रपुर अंधैल, उजियारपुर	327	—	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तिथि 05.09.99 करने के संबंध में।	सुधार कर दिया गया	योग्य
81	हेमन्त कुमार प्रसाद	उ० म० वि० मनियारपुर	328	—	कॉलम 08 में अंकित तिथि 1.10.03 के स्थान पर 05.09.99 अंकित किया जाय	सुधार कर दिया गया	योग्य
82	चन्देश्वर राम	उ० म० वि० इस्माईलपुर लगुनिया, पटोरी	337	—	इनका आपत्ति है कि वरीयता क्र०सं. —277,278,329 का अंतर जिला स्थानान्तरण है जो 2007 में इस जिले में आए है, इसलिये उनसे उपर इनका नाम वरीयता सूची में होना चाहिए।	वरीयता में अपेक्षित सुधार किया जा रहा है	योग्य
83	संजीव कुमार	उ० म० वि० खरसाम, शिवाजीनगर	348	अनुमति पत्र, आ०अ० एवं प्रोग्रामत अप्राप्त	प्रोग्राम हेतु शपथ पत्र एवं प्र०शि०पदा० का ज्ञापांक 347 दिनांक 10.12.02 द्वारा अनुमति पत्र दिया गया है।	आपत्ति निराकृत	योग्य
84	मो० मुस्तकौम	उ० कन्या म० वि० विथान०	353	प्रामाण पत्र अप्राप्त	प्रमाण पत्र प्राप्त कराया गया।	अपत्ति निराकृत	योग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
85	राम ललित राय	उ० म० वि० सोनवारचक, विभुतिपुर	362	—	पदस्थापित विधालय का नाम उ० म० वि० किशनपुर अंकित किया जाय।	अपेक्षित सुधार कर दिया जायगा।	योग्य
86	विजय कुमार महतो	उ० म० वि० खतुआहा, खानपुर	365	प्रोग्राम एंव आ० अ० में रहने का प्रमाण अप्राप्त	प्रोग्राम एंव अ० अ० में रहने का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है।	प्रोग्राम एंव आ० अ० में रहने का प्रमाण पत्र समर्पित करने के कारण इन्हें प्रोन्नति के योग्य माना जा सकता है।	योग्य
87	सुन्देश्वर दास	उ० म० वि० अकहा बालक, उजियारपुर	370	—	कॉलम 07 में सेवानिवृत्ति तिथि 28.02.30 के बदले 30.04.30 करने का अनुरोध किया गया है।	सुधार कर दिया गया	योग्य
88	कन्हैया पासवान	उ० म० वि० सरहचिया, हसनपुर	400	—	कॉलम 11 में दूरस्थ शिक्षा को संशोधन कर ल०ना०मि०विश्व दरभंगा करने का हेतु अनुरोध किया गया है।	सुधार कर दिया गया	योग्य
89	शैलेंद्र कुमार सहनी	म० वि० मनियार	408	निलम्बन के कारण। अयोग्य	जिला कार्यम पदाधिकारी सीपना के ज्ञापांक 247 दिनांक 21.01.16 द्वारा निलम्बन मुक्त करते हुऐ विभागीय कार्यवाही समाप्त हाने के कारण प्रोन्नति योग्य मानने का अनुरोध किया गया है।	निलम्बन मुक्त हो चुके हैं, इसलिये प्रोन्नति के योग्य माना जा सकता है।	योग्य
90	सीतेश कुमार	उ० म० वि० पूसा बाजार	415	प्रोग्राम, प्रमाण पत्र एंव आ०अ० का साक्ष्य अप्राप्त	प्रोग्राम, एंव आ० अ० का साक्ष्य प्राप्त करा दिया गया है।	आपत्ति निराकृत	योग्य
91	बिन्देश्वर साह	उ० म० वि० कन्या विष्णुपुर बथुआ, पूसा	416	—	नाम सुधार कर बिन्देश्वर साह उ० म० वि० कन्या विष्णुपुर बथुआ, कोटि-अ०पि०व० का सुधार हेतु आवेदन दिया गया है।	अपेक्षित सुधार कर दिया जायगा।	योग्य
92	सत्येन्द्र कुमार	उ० म० वि० बरवरी सुआपाकर, सरायरंजन	422	—	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तिथि 05.09.99 करने के संबंध में।	सुधार कर दिया गया	योग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु दिया गया साक्ष्य	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मंतव्य	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7	8
93	जय शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्र०अ०	उ० म० वि० कैजिया विष्णुपुर, पूसा		—	शिक्षक द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की मांग की गई है।	भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देय नहीं है।	मांग अस्वीकृत
94	राम नन्दन शर्मा	उ० म० वि० तेलनी		—	11-13 सत्र में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए हैं इसलिए वरीयता सूची में नाम जोड़ने का अनुरोध किया गया है।	इनका परीक्षाफल 04.03.14 को प्रकाशित हुआ है जबकि वरीयता सूची 31.12.13 के आधार पर निर्मित है। वर्तमान में वरीयता सूची में नियमानुसार नाम नहीं जोड़ा जा सकता है।	मांग अस्वीकृत
95	राधा कुमारी	ज० म० वि० शम्भुपट्टी		—	वरीयता सूची में नाम दर्ज करने के संबंध में।	दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ,ललित ना० मिथिला विश्वविधालय दरभंगा से सत्र 2013-15 में उत्तीर्ण हुए हैं, यह सूची 31.12.13 के वरीयता के आधार पर बनी है। इसलिये भविष्य में वरीयता सूची का निमार्ण होगा तो इन्हें उचित स्थान दिया जायगा।	मांग अस्वीकृत
96	शंकर राम	उ० म० वि० लवहट्टा, वारिसनुगर		—	प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।	इन्हें स्नातक वेतन प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक के पद पर नियमानुसार प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है।	मांग अस्वीकृत

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना) समस्तीपुर

कार्यक्रम पदाधिकारी
(माध्यमिक) समस्तीपुर

(नवनील कुमार),
वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर

गौतम पासवान
अपर समाहर्ता
आबदा प्रबन्धन समस्तीपुर

जिला शिक्षा पदाधिकारी
समस्तीपुर

परिशिष्ट "ख"

प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु तैयारी औपबन्धिक प्रकाशित वरीयता सूची में गहणता से की गई जांच के कारण अवलोकित त्रुटियाँ

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु साक्ष्य दिया जाय	पूर्व में सूची की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दयानन्द प्र० सिंह	उ० म० वि० शिवनगर कल्याणपुर	6	परीक्षा हेतु विभागीय अनुमति अप्राप्त	अनुमति पत्र समर्पित किया जाय।	योग्य	अयोग्य
2	कुमारी मीना सिन्हा	उ० म० वि० खोखसा दलसिंहसराय	15	स्नातकोत्तर योग्यता स्वतंत्र रूप से करने का साक्ष्य की आवश्यकता है	स्वतंत्र परीक्षा देने का का प्रमाण पत्र प्राप्त कराया जाय।	योग	अयोग्य
3	रेयाज अहमद	उ० म० वि० खराज, समस्तीपुर	22	स्नातकोत्तर विज्ञान 89-91 नियमित छात्र के रूप में किया गया है एवं प्रशिक्षण सत्र भी 89-90 है इसलिये समान सत्र में दो तरह का योग्यता प्राप्त करना नियमानुकूल नहीं है।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग	अयोग्य
4	मो० बसीम	उ० म० वि० चकसिकन्दर पश्चिम मोरवा	24	इनकी नियुक्ति तिथि 10.10.84 है एवं स्नातकोत्तर का सत्र 82-85 है। यह नियमित रूप से स्नातकोत्तर की डिग्री सेवा में रहते हुए प्राप्त किये हैं।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य
5	कुमारी रेणुका राय	उ० म० वि० दशहरा कन्या, मोहनपुर	39	शिक्षिका की नियुक्ति तिथि 17.12.87 है एवं नियमित रूप से स्नातकोत्तर विज्ञान का सत्र 88-90 है एवं योग्यतावर्धन हेतु विभागीय अनुमति का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य
6	अरुण कुमार	म० वि० शुम्भा डेयढी शिवाजीनगर	49	शिक्षिका की नियुक्ति तिथि 15-03-88 है एवं नियमित रूप से स्नातकोत्तर का सत्र 89-91 है। इसतरह सेवा में रहते हुए स्नातकोत्तर की योग्यता हासिल किये हैं।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विद्यालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु साक्ष्य दिया जाय	पूर्व में सूची की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
7	रीता कुमारी	म० वि दुधपुरा	51	स्नातकोत्तर योग्यता स्वतंत्र रूप से करने का साक्ष्य की आवश्यकता है।	स्वतंत्र परीक्षा देने का साक्ष्य प्राप्त कराया जाय।	योग	अयोग्य
8	उमा कुमारी	म० वि० गांधीपार्क, समस्तीपुर	64	स्नातकोत्तर विज्ञान स्वतंत्र रूप से करने का साक्ष्य की आवश्यकता है।	स्वतंत्र परीक्षा देने का साक्ष्य प्राप्त कराया जाय।	योग	अयोग्य
9	रामार्चा प्रसाद सिंह	उ० म० वि० हरपुर एलौथ, समस्तीपुर	77	स्नातकोत्तर विज्ञान 90-92 में नियमित रूप से किया गया है एवं प्रशिक्षण सत्र भी 90-92 है इसलिये समान सत्र में दो तरह का योग्यता प्राप्त करना नियमानुकूल नहीं है।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	अयोग्य	अयोग्य
10	अनिता कुमारी	उ० म० वि० कल्याणपुर, प्रखण्ड-कल्याणपुर	81	स्नातकोत्तर 89-91 में किया गया है एवं प्रशिक्षण सत्र भी 90-92 है इसलिये समान सत्र में दो तरह का योग्यता प्राप्त करना नियमानुकूल नहीं है।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य
11	मो० वकील अहमद	उ० म० वि० एकद्वारी, वारिसनगर	83	स्नातकोत्तर विज्ञान 89-91 में किया गया है एवं प्रशिक्षण सत्र भी 89-90 है इसलिये समान सत्र में दो तरह का योग्यता प्राप्त करना नियमानुकूल नहीं है।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य
12	नवल किशोर साह	उ० म० वि० हुसैनीपुर, मोरवा	116	स्नातकोत्तर विज्ञान 88-90 में किया गया है एवं प्रशिक्षण सत्र भी 88-90 है इसलिये समान सत्र में दो तरह का योग्यता प्राप्त करना नियमानुकूल नहीं है।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य

क्र० सं०	आवेदक का नाम	विधालय का नाम	वरीयता क्रमांक	आपत्ति	आपत्ति निराकरण हेतु साक्ष्य दिया जाय	पूर्व में सूची की स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
13	राम नरेश राय	म० वि० इनायतपुर, पटोरी	268	स्नातकोत्तर 93-95 है एवं इनकी नियुक्ति 22.08.94 है, इसतरह नियमित रूप से एक सत्र में दो उपाधि प्राप्त करना नियमानुकू नहीं है।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य
14	विष्णुदेव राय	उ० म० वि० विरदिलपुर, पटोरी	269	सभी प्रमाण पत्र अप्राप्त।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य
15	सुरेश कुमार	म० वि० दरबा	271	बी० एन० मंडल विश्व विधालय के सत्र 91-93 की डिग्री अमान्य संबंधी विभागीय पत्र	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य
16	राज कुमार प्रसाद	उ० म० वि० सरमस्त पुर, विधापतिनगर	283	स्नातकोत्तर 87-89 में किया गया है एवं प्रशिक्षण सत्र भी 86-89 है इसलिये समान सत्र में दो तरह का योग्यता प्राप्त करना नियमानुकूल नहीं है।	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य
17	इंतखाब आलम	उ०म०वि० चकरमन पटोरी	393	विभागीय अनुमति का साक्ष्य अप्राप्त	आपत्ति गलत है तो साक्ष्य दिया जाय।	योग्य	अयोग्य

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना) समस्तीपुर

कार्यक्रम पदाधिकारी
(माध्यमिक) समस्तीपुर

(नवनील कुमार),
वरीय उप समाहर्ता, समस्तीपुर

गौतम पासवान
अपर समाहर्ता
आबदा प्रबन्धन समस्तीपुर

जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर